न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या अपील – 01/2023

उनवान

नोजी बाई पत्नी लालू पुत्री दौला जी, जाति भील, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी सुखपुरा, धांगणमउकलां, प0ह0 धांगणमउकलां, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमान् सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत धांगणमउकलां, प0ह0 धांगणमउकलां, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. ताराचंद पुत्र दौला जी, जाति भील, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी धांगणमउकलां, प0ह0 धांगणमउकलां, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. प्रभुलाल पुत्र दौला जी, जाति भील, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी धांगणमउकलां, प0ह0 धांगणमउकलां, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

(विरूद्ध अपील इंतकाल, इंतकाल संख्या–306 ग्राम सुखपुरा, प0ह0 धांगणमउकलां)

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री भूपेन्द्र कुमार पुरोहित।

अप्रार्थीः– 01 एकतरफा कार्यवाही, 02 श्री आजाद हुसैन।
03 जवाब प्राप्त 04 पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक – 16.10.2024

अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स ने यह अपील रेस्पोडेंटस के विरूद्ध इस आशय की प्रस्तुत की है कि अपीलांट के पिता दौला जी के नाम ग्राम सुखपुरा तत्कालीन प0ह0 बोराव की जमाबंदी संवत् 2041–44 की खाता संख्या 63 की खसरा संख्या 9/79/1 रकबा 2 किस्म बारानी दौला पिता हरला भील खातेदार दर्ज रिकॉर्ड था। दौला के वारिसान प्यारी बाई (पत्नी दौला, फौत), नौजीबाई(पुत्री), ताराचंद(पुत्र), प्रभुलाल (पुत्र) है। अपीलांट के पिता दौला की मृत्यु के पश्चात् इनकी विरासत का इंतकाल खोला गया जिसकी इंतकाल संख्या 306 है, रेस्पोडन्ट संख्या 2 व 3 ने राजस्व कर्मियों/पटवारी से सांठगांठ कर विरासत की इंतकाल [illegible] नाम खुलवा दिया तथा बहन व माँ को मृत बता छल–कपट से पिता [illegible] आराजी के मात्र दोनों ही खातेदार बन गये। मृतक दौला की विरासत का इंतकाल [illegible] के वारिस प्यारी बाई, नौजी बाई, ताराचन्द, प्रभुलाल चारों के बराबर [illegible] जाना था जो नही खोला गया। तत्कालीन ग्राम पंचायत बोराव वर्तमान ग्राम पंचायत धांगणमउकलां द्वारा विरासत का इंतकाल गलत तस्दीक किया गया इसलिए उक्त इंतकाल संख्या 306 की अपील किया जाना न्यायोचित है। इस वर्ष ऑनलाईन जमाबंदी निकलवायी तब ज्ञात हुआ कि खाता संख्या 64 की खसरा संख्या 92, 94 रेस्पोडन्ट संख्या 2 व 3 के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड है जबकि जमाबंदी संवत् 2076–79 की खाता संख्या 63 में दौला के सभी वारिसों के नाम आराजी दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.13 16:48:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

रिकॉर्ड है। इंतकाल की अपील जानकारी में आते ही प्रस्तुत की जा रही है फिर भी इंतकाल अपील में देरी के कारण दफा 5 मयाद अपील का प्रार्थना–पत्र साथ में संलग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स संख्या 1 न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो अपील का इकबाली जवाब प्रस्तुत किया। रेस्पोडेण्टस संख्या 02 मय अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब में कथन किया कि अपीलाण्ट को पेत्रिक भूमि में से रेस्पोडेण्टस ताराचंद ने पहले ही 1/3 हिस्सा दे रखा है, जिसमें वह स्वयं काश्त कर रही है, वह और 1/3 हिस्सा प्राप्त करना चाहती है, जो गलत है, अपीलाण्ट ने अपने भाई प्रभु लाल के बहकावे में आकर यह गलत अपील पेश की है। अपीलाण्ट के पति की मृत्यु होने के बाद वह अन्यत्र नाते चली गई थी, ओर अपने हिस्से की जमीन को दूसरों के कब्जे मे दे गई थी, बाद में अपनी पुत्री रोडी बाई को देकर चली गई थी, रोडी बाई के पति महावीर को अपीलान्ट ने घर जवाई रखा है,उसे अपने हिस्से की जमीन सिपूर्द कर रेस्पोडेण्ट ताराचन्द से उसकी जमीन का भी हिस्सा लेना चाहती है। अपीलाण्ट नोजी बाई के कोई संतान नहीं होने के कारण उसने रोडी बाई को जब वह एक वर्ष की थी, गोद रख लिया था, जिसकी शादी ताराचंद ने कराई थी, जिसका खर्चा रेस्पोडेण्टस ताराचंद ने ही दिया था, रोडी बाई को अपीलाण्ट ने ही परवरिश कर बडा किया है, रोडी बाई रेस्पोडेण्ट ताराचंद की पुत्री है, उसे भी नोजी बाई ने बहका रखा है, जिसकी वजह से रोडी बाई अपने पिता ताराचंद से भी कोई बातचीत नहीं करती है और व्यवहार भी नहीं रखती है, अपीलाण्ट को पेत्रिक भूमि से जो 1/3 हिस्सा दिया गया है,उसका इन्द्राज पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड में नही किया गया है। अंत में अपील को खारीज फरमाई जाने का निवेदन किया है।

तहसीलदार रावतभाटा द्वारा दिनांक 04.10.2024 से जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब अनुसार ग्राम सुखपुरा प0ह0 धांगडमउकलां वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 64 आराजी संख्या 92, 93 कुल रकबा 0.43है0 भूमि ताराचन्द पुत्र दौला हिस्सा 1/2 जाति भील एवं प्रभूलाल पिता दौला हिस्सा 1/2 जाति 1/2 भील सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या 63 में प्रार्थी के पिता दौला के सभी वारिस दर्ज रिकार्ड है, जो कि प्रभुलाल पिता दौला , ताराचन्द पिता दौला भील, नौजी बाई पुत्री दौला एवं प्यारी बाई पत्नि दौला भील दर्ज रिकार्ड है। विरासत का नामान्तकरण संख्या 306 से खाता संख्या 64 में ताराचन्द, प्रभुलाल पिता दौला के नाम दर्ज हुआ है। मौके पर उपस्थित मौतबिरानों से प्राप्त जानकारी अनुसार एवं जमाबंदी के खाता संख्या 63 में दर्ज वारिसान के आधार पर दौला भील के वारिस सजरा अनुसार इस प्रकार है:–

दौला भील (फौत)

ताराचन्द (पुत्र) प्रभूलाल (पुत्र) नौजी बाई (पुत्री) प्यारी बाई (पत्नि) फौत

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मृतक दौला की विरासत का इंतकाल मृतक के वारिस प्यारी बाई, नौजी बाई, ताराचन्द, प्रभुलाल चारों के बराबर खोला जाना था जो नही खोला गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.13 16:48:14 IST
Reason: SelfAttested

तत्कालीन ग्राम पंचायत बोराव वर्तमान ग्राम पंचायत धांगणमउकलां द्वारा विरासत का इंतकाल गलत तस्दीक किया गया। उक्त आदेश पारित करने में ग्राम पंचायत बोराव ने कानून के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना की है व विपक्षीगण के कहे अनुसार बिना किसी जांच के नामान्तकरण आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। इसके विपरीत वकील विपक्षीगण ने बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट को पेत्रिक भूमि में से रेस्पोडेण्टस ताराचंद ने पहले ही 1/3 हिस्सा दे रखा है, जिसमें वह स्वयं काश्त कर रही है, वह और 1/3 हिस्सा प्राप्त करना चाहती है, जो गलत है, अपीलाण्ट ने अपने भाई प्रभु लाल के बहकावे में आकर यह गलत अपील पेश की है। अन्त में अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का धांगडमउकलां की नामान्तकरण पंजिका की प्रति में दौला के पारिवारिक सजरा में दौला के जायन्दा पुत्र के रूप में ताराचन्द, प्रभुलाल का नाम दर्ज होना प्रमाणित है एवं इसी सजरे के आधार पर स्व0 दौला के पुत्र का नाम विरासत से दर्ज हुआ। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत जमाबंदी सम्वत् 2076–79 के खाता संख्या 63, 64 की प्रति के अवलोकन से खाता संख्या 64 खसरा संख्या 92, 94 में रेस्पोडेण्टस संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज है जबकि खाता संख्या 63 में दौला के सभी वारिसों के नाम आराजी दर्ज है। इस प्रकार दोनो जमाबन्दी से यह स्पष्ट होता है कि एक जमाबन्दी में तहसीलदार रावतभाटा अनुसार सजरे से सभी वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड है जबकि एक जमाबंदी में रेस्पोडेण्टस संख्या 2 व 3 का ही नाम दर्ज रिकार्ड है। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पक्षकारों को बिना किसी पूर्व सूचना दिये और सुनवाई का मौका दिये बिना ही जल्दबाजी में नामान्तकरण के जरिये राजस्व रिकार्ड में दोनो पुत्रों के नाम दर्ज कर दिये और संबंधित प0ह0 ने भी बिना किसी उचित जांच व सुनवाई के एकतरफा कार्यवाही कर नामान्तकरण स्वीकृत किया, जो नियमों के प्रतिकूल प्रतीत होता है। जहां तक रेस्पोडेंट संख्या 2 का कथन है कि अपीलार्थीगण को पुर्व में 1/3 हिस्सा दे रखा है और वह अतिरिक्त 1/3 हिस्सा मांग रहे है, तो इस संबंध में न्यायालय का मानना है कि पुनः नये सिरे से मृतक दौला के वारिसान की जांच करने पर नामान्तकरण दर्ज किया जाना उचित है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बोराव हाल धाांगडमउकलां द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 306 को निरस्त कर मृतक दौला के वारिसान की पुनः नये सिरे से जांच कर अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने [illegible]

निर्णय आज दिनांक 16.10.20[illegible] को [illegible] की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा का भेजी जावे।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.13 16:48:14 IST
Reason: SelfAttested